भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DK 476040

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष–मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सदस्य–सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, कासगंज।

द्वितीय पक्ष–जी.डी. मैमोरियल शिक्षा प्रसार समिति, एटा।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सदस्य–सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, कासगंज के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण (मोबिलिटी सपोर्ट)** में टैक्सी परमिट वाहन व्यवस्था हेतु किया गया, इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 अथवा नयी निविदा होने तक (जो भी पहले हो) रहेगी।

द्वितीय पक्षकार **सहयोगात्मक पर्यवेक्षण (मोबिलिटी सपोर्ट)** के अन्तर्गत जनपद के प्रत्येक ब्लॉक पर मोबिलिटी सपोर्ट हेतु एक–एक टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध करायेंगे। द्वितीय पक्षकार को योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो का पालन करना होगा।

1. अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार वाहन प्रतिदिन 8 घंटे नियमित रूप से चिकित्सालय में सेवा प्रदान करेगा।
2. वाहन को 24 घंटे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्ष्कार द्वारा अनुबन्ध पत्र की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपया 300 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधरोपित करने का अधिकार होगा।
3. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य है। द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्ष ही होगा। प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा।
4. द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करे। द्वितीय पक्ष का यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रीाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

क्रमशः2पर

प्रबन्धक / सचिव
जी0 डी0 मैमोरियल शिक्षा प्रसार समिति
सुनहरी नगर एटा

Chief Medical Officer
Kasganj

5. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉगबुक के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा 10 दिवस के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा, वाहन की छोटी–मोटी टूट फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्षकार को करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घंटे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को पन्द्रह दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा, तथा धरोहर धनराशि भी जब्त की जा सकती है।
7. द्वितीय पक्षकार को प्रत्येक माह प्रतिवाहन रूपया–24500/– की दर से प्रथम पक्षकार द्वारा भुगतान किया जायेगा।
8. इसी मध्य भारत सरकार स्तर से राज्य कार्ययोजना पर अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात यदि किसी प्रकार के वित्तीय नियमों में परिवर्तन वांछनीय होता है तो द्वितीय पक्षकार को संशोधित दिशा–निर्देश दिये जायेंगे।

स्थान–............................

दिनांक–..........................

गवाह–

1. Atul Singh S/o Satyapal Singh 184 GH, Sunhari Nagar Etah

2. ....

हस्ताक्षर एवं मुहर (प्रथम पक्ष)

Chief Medical Officer Kasganj

हस्ताक्षर एवं मुहर (द्वितीय पक्ष)

प्रबन्धक/सचिव
जी0 डी0 मैमोरियल शिक्षा प्रसार समिति
सुनहरी नगर एटा